न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला–शाहपुरा

क्रमांक / राजस्व / 2024 / 7A/2024 दिनांक :–27/ 05 / 2024

उनवान

श्री भरतराज पिता छगनलाल मीणा
निवासी–बोराणी
जहाजपुर जिला–शाहपुरा

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार जहाजपुर
जिला–शाहपुरा

–:: आदेश ::–

प्रार्थी के तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज नक्शा लठठा शीट के ट्रेस ग्राम बोराणी , ऑनलाईन नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी एवं पटवारी हल्का बिन्ध्याभाटा व भू. अ. नि. जहाजपुर की जॉंच रिर्पोट एवं तहसीलदार जहाजपुर की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम बोराणी प. ह. बिन्ध्याभाटा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या–131 में प्रार्थीगण के नाम दर्ज खसरा नम्बर–1557 / 3 की ऑनलाईन नक्शे मे तरमीम दुरस्ती राजस्व रेकार्ड में लठठाशीट के मुताबिक दुरस्ती करने का आदेश जारी किया जाता है। उक्त तरमीम दुरस्ती से प्रभावित आराजी नम्बर–1557 / 1,1558 / 1 की ऑनलाईन नक्शे में तरमीम नक्शा लठठा के मुताबिक दुरस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार ऑनलाईन राजस्व नक्शे में तरमीम दुरस्ती कर पालना प्रस्तुत की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला–शाहपुरा

प्रतिलिपी :–पालनार्थ एवं सूचनार्थ

1. तहसीलदार जहाजपुर जिला–शाहपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार ऑनलाईन राजस्व नक्शा में तरमीम दुरुस्त कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री भरतराज पिता छगनलाल मीणा निवासी–बोराणी
3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला–शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम –26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम जहाजपुर

भरतराज पिता छगनलाल मीणा निवासी बोराणी

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर

किस्म मुकदमा 136 आरटीए मुकदमा नं. 7A/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
12.03.2024	प्रार्थना–पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराये जाने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस जरिए रजिस्टर्ड एडी से भिजवाने हेतु प्रार्थी स्वंय के खर्च पर लिफाफे मय डाक टिकट पेश करें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 20.05.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)	
20.5.24	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 27/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)	
27/5/24	पत्रावली पेश हुई। निर्णय पृथक से लिखा [illegible] को [illegible] हेतु लिखा [illegible]। पत्रावली [illegible] [illegible] उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)	

Scanned with OKEN Scanner